

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना

पटना, दिनांक— / / 2025

संख्या—17/एल 2-08/2025— /स्वा०, डा० सुधीर कुमार, प्राध्यापक, नेत्र रोग विभाग, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, बेतिया, पश्चिम चम्पारण के द्वारा अपने व्यक्तिगत एवं पारिवारिक समस्याओं के कारण ऐच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान करने हेतु समर्पित अभ्यावेदन पर सम्यक् विचारोपरान्त बिहार सेवा संहिता के नियम 74 (बी०) —सह— पठित वित्त विभागीय परिपत्र संख्या—6190 वि० दिनांक—27.04.1979 में निहित प्रावधान के आलोक में अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से ऐच्छिक सेवानिवृत्ति की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. यदि ऐच्छिक सेवानिवृत्ति के पश्चात् सेवानिवृत्त चिकित्सक शिक्षक के विरुद्ध किसी प्रकार की अनियमितता का विषय सज्ञान में आता है या दोषी पाये जाते हैं, तो उनके विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई/विभागीय कार्यवाही की जाएगी।

3 डा० सुधीर कुमार भविष्य में बिहार सरकार की सेवा में पुनर्नियोजन/संविदागत नियोजन के पात्र नहीं होंगे।

4. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/—

(रिणु कुमारी)

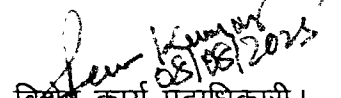
विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक :-17/एल 2-08/2025—

892(17)

पटना, दिनांक :- 08/08/2025

- प्रतिलिपि:— ई—गजट कोषाग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:— महालेखाकार (ले० एवं ह०) का कार्यालय, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। साथ ही अनुरोध है कि डा० सुधीर कुमार, प्राध्यापक, नेत्र रोग विभाग, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, बेतिया का अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य नगद राशि की भुगतान की स्वीकृति हेतु उपार्जित अवकाश आदेयता प्रतिवेदन तथा दीर्घकालीन बाकी/बेबाकी प्रमाण—पत्र शीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा करेंगे।
- प्रतिलिपि:— कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, बेतिया, पश्चिम चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:— प्राचार्य, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, बेतिया, पश्चिम चम्पारण को ऐच्छिक सेवानिवृत्त चिकित्सक शिक्षक के सेवांत लाभ के भुगतान की स्वीकृति हेतु तीन प्रति में पेंशन प्रपत्र सहित वाछित कागजात उपलब्ध कराने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:— डा० सुधीर कुमार, प्राध्यापक, नेत्र रोग विभाग, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, बेतिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:— माननीय स्वास्थ्य मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी—प्रशाखा 02, 03, 08, 09 एवं 18A, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि:— आई० टी० मैनेजर/प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


विशेष कार्य पदाधिकारी।